

67-18/2023  
02/01/2023



राजस्थान सरकार  
कार्मिक(क-1/गो0प्र0) विभाग

कमांक प.13(51)का/क-1/गो.प्र./2022

जयपुर दिनांक

26 DEC 2022

परिपत्र:-

कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक 13(51)का/क-1/गो.प्र./2022 दिनांक 30.03.2022 एवं दिनांक 22.04.2022 के द्वारा राज्य के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वयं के SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान किया गया था तथा इसी की निरन्तरता में समसंख्यक परिपत्र दिनांक 04.10.22 के द्वारा समय सीमा दिनांक 31.10.2022 तक बढ़ाई गई थी तत्पश्चात राजकाज सॉफ्टवेयर पर कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरना बन्द कर दिया गया था।

इसी क्रम में राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरने हेतु समय सीमा दिनांक 31.01.2023 तक निर्धारित की जाती है।

भवदीय

( देवेन्द्र कुमार )  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित) अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों को कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने हेतु निर्देशित करें।
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Deendra Kumar  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2022.12.26 10:57:08 IST  
Reason: Approved




RajKaj Ref No. : 3021847

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 3(126)ACR/CCE/10/10

दिनांक: 03-01-2023

समस्त प्राचार्य, राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र एवं आयुक्तालय के परिपत्र क्रमांक एफ3 (216) ACR/CCE/ 2022/1264 दिनांक 14.12.2022 के आधार पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(51)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2022 जयपुर दिनांक 22.04.2022, क्रमांक प.13(51) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2022 जयपुर दिनांक 26.05.2022 एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी Online ACR Module के अनुसार निर्धारित अवधि में अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए (i) 9414286042 (श्रीमति हिना पिपलानी), (ii) 9414062909 (डॉ० किरण जैफ) नम्बर पर प्रातः 11:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक (कार्यालय दिवस में) सम्पर्क करें।

  
03/01/2023  
डॉ० आर०सी०मीना,  
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)